कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2321096 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

क्रमांक : 1502 दिनांक : 01.5.2021

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.7 (136/2) रालसा/संस्था–संविदा सेवा/2021/241 दिनांक 28.04.2021 तथा राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08 (1)विधि–2/विरस(64)/2015 पार्ट/117 दिनांक 23.04.2021 के अनुसरण में तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति पर के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के प्रावधानों के अनुसार ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के कार्यालय हेतु 02 सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं स्थाई लोक अदालत के लिए 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं परन्तु वर्तमान में रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 (31.03.2022 अथवा नियमित भर्ती, जो भी पूर्व में हो तक) के लिए राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के परिपत्र 08.02.2018 एवं दिनांक 14.11.2018 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के दिशा निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के अधीन सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो सेवानिवृत कार्मिक लिए जाने, सेवानिवृत कर्मचारी अनुपलब्ध होने की दशा में विपरित प्रतिनियुक्ति पर एवं रेक्सो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक की सेवायें लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.सं.	नाम ताल्लुका	नाम पद	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
2	स्थायी लोक अदालत, कोटा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

जिनकी शर्ते निम्न प्रकार से हैं–

1 उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप देय समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।

2 समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगें। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

3 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

4 कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी का शारीरिक रूप से उपयुकत होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5 केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था या जिन्हें

किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

6 सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी **दिनांक 03.05.2021 को दोपहर 12:00 बजे** तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:–

1 विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति

2 अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति

3 पीपीओ की प्रति

4 विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कोटा

क्रमांकः– 1503-1515 दिनांक 01.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा।
4. जिला कलक्टर, कोटा
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, रामगंजमंडी, सांगोद, दीगोद, इटावा, कनवास।
6. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, कोटा के नोटिस बोर्ड।
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा को अखबार में प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बार्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कोटा

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2321096 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम : ....
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है : ....
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन : ....
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख : ....
5. मूल विभाग का नाम : ....
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद : ....
7. धारित पद का वेतनमान : ....
   (सेवानिवृत्ति के समय)
8. अनुभव : ....
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
   (एलपीसी संलग्न करें) : ....
10. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति संलग्न करें) : ....
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
    (संलग्नानुसार)
12. स्थाई पता : ....

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2321096 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.................. ....की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती.......................... ....रू. मासिक मूल वेतन..आहरित कर रहा था/ कर रही थी और कि श्री/श्रीमती..अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती...के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील